

14-10-2022

पत्रावली पेश हुई (कुलाम अर्थात्)
अधिवक्ता अपीलान्त में अपीलान्त की
ओर में दोनो पक्षकारों के मध्य आपसी-
महामत से शर्हीबासा के जाने में अपील
आगे नहीं चलाना चाहते का प्रार्थना पत्र
पुस्तक का अपील जस्टिस विद्वा निवारित
किए जाने का निवेदन किया गया।
चूंकि अधिवक्ता अपीलान्त की ओर में
यह अपील विद्वा की जा चुकी है।
आतः अपील अपीलान्त जस्टिस विद्वा
शरहीबासा की जाती है। पत्रावली में मसल
शुमार होकर नखराने का ही तथा
बाद तकमिल शामिल करविल करविल है।

या कलंक

